दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 03 फरवरी 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 127

महत्वपूर्ण एवं खास

4 फरवरी को लगेगा गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार

चंडीगढ़ (आरएनएस)। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार आगामी 4 फरवरी (शनिवार) को अम्बाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रात: 10 बजे आयोजित होगा। जनता दरबार में दोपहर केवल एक बजे तक पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुना जाएगा। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में कोने-कोने से आने वाले हजारों लोगों की समस्याओं को सुनकर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। गृह मंत्री अनिल विज दरबार में आने वाले अंतिम व्यक्ति की भी समस्या को सुनते हैं और अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देश देते है।

सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता, 7 नक्सली मिलिशिया सदस्य पकड़े गए

नई दिल्ली (आरएनएस)। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सीआरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एक विशेष ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ ने 7 नक्सली मिलिशिया सदस्यों को पकड़ा है। ये कार्रवाई सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ के सुकमा में की गई। सीआरपीएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। सीआरपीएफ ने बताया कि नक्सलियों द्वारा छिपाए गए हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों को बरामद करने के उद्देश्य से सर्च डिस्ट्रक्शन ऑपरेशन के अलावा जवानों द्वारा एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक संयुक्त अभियान 141 बटालियन सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बीती देर रात से गुरुवार सुबह तक सुकमा के कोंडावई गांव के आसपास शुरू किया गया था। ऑपरेशन के दौरान 7 नक्सली मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी 7 लोग प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी पार्टी की रिवोल्यूशनरी पीपल्स काउंसिल (आरपीसी) के मिलिशिया सदस्य थे। एक अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियानों और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की स्थापना के कारण नक्सल गतिविधियों में गिरावट जारी है, इसलिए बल नक्सली ताकत के फिर से उभरने की संभावना से बचने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं।

जम्मू-श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए खुला

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन और बनिहाल के बीच बारिश के कारण हुए भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थरों के गिरने के कारण 30 जनवरी से ज्यादातर बंद रहने के बाद गुरुवार को यातायात के लिए खुल गया। जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने कहा, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। मुगल रोड और एसएसजी रोड बंद है। राजमार्ग कश्मीर घाटी की जीवन रेखा है और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य सडक़ है। आवश्यक वस्तुओं और अन्य वाहनों से लदे कश्मीर जाने वाले ट्रक राजमार्ग से गुजरते हैं और कश्मीर से फलों को ले जाने वाले ट्रक इस सडक़ के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं।

छह करोड़ साल पुराने शालिग्राम पत्थर से बनेंगी भगवान राम की मूर्ति, अयोध्या में हुआ शिलाओं का भव्य स्वागत

अयोध्या (आरएनएस)। भगवान राम के भक्तों के लिए खुशखबरी है। 373 किलोमीटर और 7 दिन का सफर तय करने के बाद के बाद दो विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच गई हैं। इसी 6 करोड़ साल पुराने शालिग्राम पत्थर से भगवान राम और सीता की मूर्ति बनेगी, जो राम दरबार में स्थापित होगी। जैसे ही शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंची श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र, निवर्तमान महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सहित अन्य भाजपा नेताओं ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया।

आज सुबह रामसेवक पुरम में 51 वैदिक ब्राह्मणों ने शालिग्राम शिलाओं का पूजन कराया। इसके बाद नेपाल के पूर्व उपप्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि और जानकी मंदिर के महंत तपेश्वर दास ने चंपत राय को शालिग्राम शिलाएं सौंप दी। रामनगरी पहुंची शिलाओं को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. सैकड़ों गाडिय़ों के काफिले के साथ नाचते भक्तों की भीड़ व जय श्रीराम के उद्घोष के बीच शालिग्राम शिलाएं रामसेवक पुरम कार्यशाला पहुंचीं, जहां अयोध्या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, सृष्टि महंत देवेंद्र दास ने शिलाओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।

राम जन्मभूमि पर बम ब्लास्ट की धमकी, पुलिस अलर्ट

0 प्रयागराज में कल्पवास कर रहे अयोध्या निवासी को आया फोन, केस दर्ज

अयोध्या (आरएनएस)। श्रीराम जन्मभूमि को बम से उड़ाने के लिए धमकी भरा फोन आने के बाद सनसनी फैल गई। यह फोन रामकोट स्थित रामलला सदन मंदिर में रहने वाले एक युवक को आया था। सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन चौकन्ना हो गया और थाना रामजन्मभूमि में केस दर्ज कर जांच-पड़ताल में जुटा हुआ है।

थाना राम जन्मभूमि के प्रभारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि रामलला सदन में रहने वाले मनोज कुमार इस समय प्रयागराज माघ मेले में कल्पवास कर रहे हैं। गुरुवार की सुबह करीब पांच-साढ़े पांच के बीच में उनके मोबाइल पर एक फोन आया। मनोज ने पूछा गया कि आप कौन और कहां से बोल रहे हैं तो उसने बताया कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं आज सुबह 10 बजे तक रामजन्मभूमि उड़ा देंगे। इतना कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया। मनोज ने तुरंत इसकी सूचना थाना रामजन्मभूमि को दी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही अयोध्या के सभी एंट्री प्वाइंटों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। वहीं श्रीराम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। रामलला सदन निवासी मनोज के अनुसार उनके नंबर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा 9999094181 नंबर से फोन किया गया था। आरोपी खुद को दिल्ली का बता रहा था। अमृत विचार की ओर से टू कॉलर पर आरोपी का नंबर चेक किया गया तो वह दिल्ली क्षेत्र के मो. बिलाल के नाम से रजिस्टर्ड पाया गया। वोडाफोन का नंबर चला रहे आरोपी ने धमकी देने के बाद फोन काट दिया था।

असम पुलिस ने जब्त की 7 करोड़ रु. की ड्रग्स

गुवाहाटी (आरएनएस)। पुलिस ने दो अलग-अलग अभियानों में असम के कार्बी आंगलोंग जिले से 6-7 करोड़ रुपये मूल्य का मादक पदार्थ बरामद किया है, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें विशिष्ट इनपुट मिले और बुधवार को अभियान चलाया गया। नशा तस्करी के आरोप में कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बोकाजन के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी जॉन दास ने कहा कि पुलिस ने जिले के लहरीजन इलाके में अधियान चलाया और एक गाड़ी को रोका।

दास ने कहा, वाहन की तलाशी लेने पर, सुरक्षाकर्मियों ने गाड़ी से सूप के डिब्बे से 306 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। उसका नाम फैयास उद्दीन है और वह बोकाजन के डोबोका इलाके का मूल निवासी है।

दूसरी कार्रवाई दिफू रेलवे स्टेशन पर की गई। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि अभियान के दौरान, पुलिस ने कम से कम एक किलोग्राम हेरोइन बरामद की और झालावाड़ (राजस्थान) के चंद्रशेखर सेन (45) और धीरज सोलंकी (30) नाम के दो लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार जब्त मादक पदार्थ की बाजार कीमत करीब छह से सात करोड़ रुपये है।

उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, पद से हटाने की मांग

मुंबई (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने जगदीप धनखड़ और किरन रिरिजू के हाल ही में दिये बयानों को लेकर उनके खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि बॉम्बे हाईकोर्ट धनखड़ और रिजिजू को उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोके और घोषित करे कि दोनों अपने सार्वजनिक आचरण और अपने बयानों के माध्यम से भारत के संविधान में विश्वास की कमी दिखाते हुए अपने संवैधानिक पदों को धारण करने से अयोग्य हैं।

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की याचिका में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों से सार्वजनिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम किया है। बता दें कि किरेन रिजिजू ने बार-बार कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाया। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी न्यायपालिका की शक्तियों पर 'मूल संरचना' सिद्धांत का हवाला देते हुए सवाल खड़े किए और हृछव्रष्ट अधिनियम को रद्द करने के उसके फैसले को गंभीर कदम बताया।

दोनों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है, 'संविधान के तहत उपलब्ध किसी भी उपाय का उपयोग किए बिना सबसे अपमानजनक और अमर्यादित भाषा में न्यायपालिका पर सामने से हमला किया गया। उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री ने सार्वजनिक मंच पर खुले तौर पर कॉलेजियम प्रणाली और बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर हमला किया। संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों की ओर से इस तरह का अशोभनीय व्यवहार बड़े पैमाने पर जनता की नजर में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को घटा रहा है।'

गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1973 के ऐतिहासिक फैसले पर बयान दिया था। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना में बदलाव करने का नहीं। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल खड़ा किया था और कहा था, 'क्या हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं' इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा। वहीं दिसंबर 2022 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजेएसी अधिनियम को रद्द किए जाने को 'लोगों के जनादेश' की अवहेलना बताया था।

व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी मानने को बाध्य नहीं यूजर्स: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को व्हाट्सएप को मीडिया में व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया कि उपयोगकर्ता उसकी 2021 की गोपनीयता नीति को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं और व्हाट्सएप की कार्यक्षमता तब तक प्रभावित नहीं होगी जब तक कि नया डेटा सुरक्षा बिल लागू नहीं हो जाता। मई 2021 में, व्हाट्सएप ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पत्र के जवाब में आश्वासन दिया था कि यदि वह नई गोपनीयता नीति अपडेट को स्वीकार नहीं करते हैं तो संदेश सेवा अपने उपयोगकर्ताओं के लिए कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेगी। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पाया कि व्हाट्सएप उपक्रम को व्यापक प्रचार देने से उन लोगों को लाभ होगा जो इसकी 2021 की गोपनीयता नीति की शर्तों से सहमत नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने व्हाट्सएप से सरकार को दिए गए अपने वचन पत्र के संबंध में पांच अखबारों में विज्ञापन देने को कहा। बेंच- जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार भी शामिल हैं- उन्होंने कहा: हम निर्देशित करते हैं कि व्हाट्सएप इस पहलू को दो बार पांच राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रचार करेगा। पीठ ने कहा कि उसने सरकार के जवाब में अपनाए गए रुख को रिकॉर्ड किया है और हम व्हाट्सएप के वरिष्ठ वकील की दलील को रिकॉर्ड करते हैं कि वह सुनवाई की अगली तारीख तक पत्र की शर्तों का पालन करेंगे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र के वकील ने उसके संज्ञान में लाया है कि एक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 संसद के समक्ष रखा जाने वाला है, और यह विवाद है कि विधेयक में अधिकांश पहलू शामिल होंगे जो इस अदालत के समक्ष याचिकाओं की विषय वस्तु हैं और इस मामले को बाद के स्तर पर उठाया जा सकता है। इस अनुरोध को व्हाट्सएप के वकील ने भी प्रतिध्वनित किया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस पहलू का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए कानून को आड़े नहीं आना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि व्हाट्सएप द्वारा यूरोप में अपने ग्राहकों के लिए स्टैंड यहां लिए गए अपने स्टैंड के विपरीत है, और अदालत से मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जोर देकर कहा कि गोपनीयता नीति में डेटा शेयरिंग से बाहर निकलने का विकल्प होना चाहिए। दिन भर की दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच में अंतरिम निर्देश पारित किया और मामले को 11 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने व्हाट्सएप का प्रतिनिधित्व किया और वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने मेटा का प्रतिनिधित्व किया। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और के.वी. विश्वनाथन ने अन्य वकीलों के साथ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। शीर्ष अदालत कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी नामक छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वॉट्सऐप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के बीच यूजर्स के कॉल, फोटो, मैसेज, वीडियो और डॉक्यूमेंट को उपलब्ध कराने के लिए हुए समझौते को चुनौती दी गई थी और इसे लोगों की निजता और बोलने की आजादी का उल्लंघन करार दिया गया था।

गुजरात : बेटे की हत्या के आरोप में महिला और प्रेमी गिरफ्तार

अहमदाबाद (आरएनएस)। गुजरात के भरूच में पुलिस ने बुधवार को एक महिला और उसके प्रेमी को उसके 13 वर्षीय बेटे की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की पहचान ममतादेवी यादव और उनके प्रेमी भगवत सिंह के रूप में हुई है।

उन्होंने 24 जनवरी को अंकलेश्वर में पुलिस से शिकायत की कि यादव का बेटा अंकलेश्वर जीआईडीसी क्षेत्र से लापता हो गया और उन्हें यह भी बताया कि लडक़े को आखिरी बार अपने पिता के साथ साइकिल पर देखा गया था।

पुलिस ने लडक़े की तलाश शुरू की और सोमवार शाम को एक जल निकाय के पास उसका क्षत-विक्षत शव मिला और बाद में शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

मंगलवार को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्चे की मौत दम घुटने से हुई है और उसके गले पर चोट के निशान थे।

पूछताछ के दौरान सिंह ने स्वीकार किया कि उसने अपने भतीजे की हत्या की है। सिंह ने आगे कहा कि उनका और ममता देवी का पिछले आठ साल से अफेयर चल रहा था और दोनों ने शादी करने का फैसला किया था, लेकिन यादव के बेटे और पति सत्यप्रकाश 'बाधाओं के रूप में आ रहे थे'।

पुलिस ने कहा कि सिंह ने उन्हें बताया कि ममता देवी और उसने पहले उनके बेटे और बाद में सत्यप्रकाश को मारने की योजना बनाई थी, ताकि वे शादी कर सकें।

रक्षा बजट : परिचालन तैयारियों पर ध्यान, अग्निवीरों के प्रशिक्षण पर जोर

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा बजट में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सेवाओं की परिचालन संबंधी तैयारियों के उच्च स्तर को बनाए रखने पर ध्यान दिया गया है, जबकि गैर-वेतन राजस्व परिचालन आवंटन बढ़ाकर 27,570 करोड़ रुपये किया गया है। इस खंड के तहत बजटीय परिव्यय के साथ बजट अनुमान 2022-23 में 62,431 करोड़ रुपये से बढक़र 2023-24 में 90,000 करोड़ रुपये हो गया। बजट में बढ़ाए गए आवंटन से अग्निवीरों के लिए प्रशिक्षण सहायता और सिमुलेटर को भी पूरा किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण के निर्धारित मानकों को पूरा करेंगे।

रक्षा मंत्रालय ने कहा, यह हथियार प्रणालियों, जहाजों/विमान और उनके रसद सहित प्लेटफार्मों के भरण-पोषण को पूरा करेगा, बेड़े की सेवाक्षमता को बढ़ावा देगा, सैन्य भंडार के लिए महत्वपूर्ण गोला-बारूद और पुर्जों की आपातकालीन खरीद, जहां भी आवश्यक होगा, स्टॉकिंग की जाएगी।

गैर-वेतन राजस्व खंड में इस वृद्धि के अग्रदूत के रूप में मध्यावधि समीक्षा के दौरान सरकार ने चालू वित्तवर्ष के परिचालन आवंटन में भी 26,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की थी, जो वर्तमान आवंटन का 42 प्रतिशत है।

संशोधित अनुमान 2022-23 में इस अभूतपूर्व वृद्धि ने चालू वर्ष के दौरान संपूर्ण कैरी ओवर देनदारियों का परिसमापन सुनिश्चित किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सेवाओं के अगले वर्ष के परिचालन परिव्यय में कोई कमी नहीं है।

लाइव सुसाइड करने वाले युवक को फेसबुक अलर्ट ने बचाया

❐ अमेरिका से कंपनी हेडक्वार्टर ने यूपी मैसेज भेजा

गाजियाबाद (आरएनएस)। गाजियाबाद में एक फेसबुक अलर्ट ने युवक की जान बचा ली। यहां अभय शुक्ला नाम का युवक इंस्टाग्राम लाइव में सुसाइड करने की तैयारी कर रहा था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा हेडक्वार्टर में जैसे ही उसका वीडियो दिखाई दिया, टीम ने यूपी पुलिस को अलर्ट भेजा। मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर पुलिस ने युवक को बचा लिया। पूरे मामले में खास बात यह है कि अलर्ट भेजने से लेकर पुलिस के पहुंचने में महज 13 मिनट का समय लगा। करीब 6 घंटे तक युवक की काउंसिलिंग की गई और जब परिवार आ गया, युवक को उनके पास सुपुर्द किया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेटा कंपनी से पिछले साल मार्च में यह करार किया था कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर किसी व्यक्ति की आत्महत्या संबंधित पोस्ट दिखे, तो तुरंत पुलिस को अलर्ट किया जाए। अभय शुक्ला ने सुसाइड करने के लिए कमरे के सीलिंग फैन में फंदा लगाया था, इसे देखने के बाद मेटा ने पुलिस को अलर्ट भेजा था। मंगलवार रात 9.57 बजे अभय शुक्ला इंस्टाग्राम पर लाइव आकर फांसी का फंदा बनाने लगा। वीडियो देखकर इंस्टाग्राम फेसबुक के हेडक्वार्टर ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया सेंटर को ईमेल अलर्ट भेजा। इस ईमेल में अभय का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। पुलिस ने तुरंत नंबर को सर्विलांस पर लिया, तो लोकेशन गाजियाबाद की निकली। सोशल मीडिया सेंटर ने यह अलर्ट गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को ट्रांसफर किया। वहां से विजयनगर थाना पुलिस को मैसेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने अभय को फांसी लगाने से पहले ही बचा लिया। अमेरिका से गाजियाबाद तक मैसेज के बाद पुलिस पहुंचने तक के प्रोसेस में महज 13 मिनट ही लगे। इसी वजह से युवक की जान बच पाई। अभय शुक्ला (23) कन्नौज का रहने वाला है। अभी वह गाजियाबाद के विजयनगर एस ब्लॉक में रहता है। वह गुरुग्राम की कैशिफाई कंपनी में जॉब करता था, जो पुराने मोबाइल सेल-परचेज का काम करती है। अभय डीलरों से पुराने फोन लेकर कंपनी को देता था। कंपनी फोन ठीक करके मार्केट में अच्छे रेट पर बेच देती थी। अभय को हर मोबाइल पर 20 प्रतिशत कमीशन मिलता था। अभय को इसमें फायदा हुआ, तो कुछ महीने जॉब छोडक़र वह निजी तौर पर यह काम करने लगा, लेकिन कुछ समय बाद अभय को काम में नुकसान होने लगा। इसकी भरपाई के लिए उसने अपनी मां से 90 हजार रुपए उधार लिए। मां ने यह रकम अभय की बहन की शादी के लिए रखी हुई थी। जब यह रकम भी डूब गई तो अभय निराश हो गया और आत्महत्या करने पहुंच गया।